



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 भाद्र 1944 (श०)

(सं० पटना ६३३) पटना, सोमवार, २९ अगस्त २०२२

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

२९ अगस्त २०२२

एस० ओ० १७३. दिनांक २९ अगस्त २०२२— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम २०१७ (बिहार अधिनियम-१२, २०१७) की धारा १२८ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० ४, दिनांक २ जनवरी, २०१८, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या १०, दिनांक २ जनवरी, २०१८ द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं; अर्थातः-

उक्त अधिसूचना में, छठे परन्तुक में “३० जून २०२२” अंको, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “२८ जुलाई २०२२” अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएं।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-२१/२०१७(खंड-१५)२३४२)]

बिहार.—राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

**29 अगस्त 2022**

एस० ओ० 173. दिनांक 29 अगस्त 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर / जीएसटी / विविध-21 / 2017(खंड-15) 2342 )]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

***The 29th August 2022***

S.O. 173, Dated 29th August 2022— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 4, dated the 2<sup>nd</sup> January, 2018, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 10, dated the 2<sup>nd</sup> January, 2018, namely:-

In the said notification, in the sixth proviso, for the figures, letters and words “30<sup>th</sup> day of June, 2022”, the figures, letters and words “28<sup>th</sup> day of July, 2022” shall be substituted.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-15) 2342)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

*Commissioner State Tax-cum-Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 633-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>